बराका ओवरसीज ट्रेडर्स
बनाम
विदेश व्यापार महानिदेशक...
11 सितंबर, 2006 को

लेखक: एम काटजू, न्यायाधीश
बेंच: अशोक भान, मार्कंडेय काटजू, न्यायाधीशगण

मामला संख्या।:अपील (सिविल) 1426 ऑफ़ 2001

याचिकाकर्ता: बराका ओवरसीज ट्रेडर्स

प्रतिवादी: विदेश व्यापार महानिदेशक एवं अन्य।

निर्णय की तिथि: 11/09/2006

बेंच: अशोक भान और मार्कंडेय काटजू

निर्णय:

मार्कंडेय काटजू, जन्यायाधीश

यह अपील 1999 की रिट याचिका संख्या 4755 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 24.3.2000 पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

उच्च न्यायालय में रिट याचिका विदेश व्यापार महानिदेशक (बाद में 'डीजीटीएफ' के रूप में संदर्भित), नई दिल्ली दिनांक 19.2.1999 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा अपीलकर्ता ने तीन अनुज्ञप्तियो की अन्तरणीयता के पुष्टि के लिए अनुरोध किया था। जिसे अस्वीकृत कर दिया गया.

वाद के तथ्य यह हैं कि भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'शुल्क छूट योजना' नाम से एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत, परिणामी उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए आवश्यक कुछ निर्दिष्ट इनपुट वस्तुओं के आयात को शुल्क छूट लाभ के साथ अनुमति दी गई थी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, आवेदक निर्यातक को इनपुट आवश्यकताओं के विवरण के साथ अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना होगा। यदि किसी विशेष निर्यात उत्पाद के लिए मानक इनपुट/आउटपुट मानक (एसआईओएन) पहले से ही प्रासंगिक समय पर अधिसूचित किए गए थे, तो अनुज्ञप्ति आमतौर पर अग्रिम अनुज्ञप्ति समिति को संदर्भित किए बिना संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि एसआईओएन तय नहीं है, तो आवेदन पर समिति द्वारा विचार किया जाना है।

याचिकाकर्ता ने विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद से 'झींगा' और पीयूडी' सहित 'ताजा जमे हुए समुद्री खाद्य पदार्थों' के निर्यात के लिए दिनांक 11.12.1997, 30.7.1998 और 30.7.1998 को तीन अग्रिम अनुज्ञप्तियां प्राप्त किए थे। 1997-2002 की निर्यात और आयात नीति (इसके बाद संक्षेप में 'एक्ज़िम नीति' के रूप में संदर्भित)। ये अग्रिम अनुज्ञप्तियां एलडीपीई/एचडीपीई/पीपी मोल्डिंग पाउडर, क्राफ्ट पेपर, फिश नेट के लिए कच्चा माल, पीपी मोल्डिंग पाउडर/नायलॉन मोल्डिंग पाउडर/नायलॉन मोनोफिलामेंट, एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे जेंटामाइसिन सल्फेट, डॉक्सीएक्लिन एचसीएल जैसी वस्तुओं के आयात के लिए जारी किए गए थे। टब, बेसिन, क्रेट्स आदि के लिए कच्चा माल यानी एचडीपीई/पीपी मोल्डिंग पाउडर, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एंटी-बैक्टीरियल/एंटी-फंगल सामग्री यानी बर्फ में मछली पकड़ने के दौरान उपयोग की जाने वाली टेट्रासाइक्लिन एचसीएल, सोया भोजन, लेसिथिन, गेहूं ग्लूटन, गोंद अरबी,

उपरोक्त सभी तीन अग्रिम अनुज्ञप्तियो के विरूद्ध अपीलकर्ता ने दिनांक 16.9.98 को तीन अलग-अलग आवेदन दायर किए, जिसमें निर्धारित निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद अन्तरणीयता के पुष्टि का अनुरोध किया गया। डीजीएफटी ने, दिनांक 19.2.1999 के आदेश द्वारा, अग्रिम अनुज्ञप्तियो की अन्तरणीयता के पुष्टि के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया।

डीजीटीएफ के दिनांक 19.2.1999 के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। अत: यह अपील विशेष अनुमति के माध्यम से दाख़िल किया गया ।

वर्ष 1997-2002 के लिए एक्ज़िम नीति में शुल्क छूट पुष्टि योजना के तहत, अग्रिम अनुज्ञप्ति कुछ निर्यात दायित्वों को वहन करते हैं, और कुछ वस्तुओं के लिए आयात और निर्यात के लिए मानक इनपुट और आउटपुट मानक (एसआईओएन) शुल्क के अनुदान के लिए- मुफ्त अनुज्ञप्ति तय कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अन्य सामान के लिए मानक तय नहीं किए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने झींगा और पीयूडी सहित ताजा जमे हुए समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए 'अमानक श्रेणी' के तहत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था, और उक्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति समिति द्वारा प्रदान किए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के परिच्छेद 8 में कहा कि निर्यात उत्पाद "आइवरी बोर्ड के अलावा एलडीपीई/एचडीपीई/पीपी कार्ड बोर्ड से बने पैकिंग सामग्री में पैक किए गए, जमे हुए समुद्री उत्पाद/जमे हुए मांस" के लिए मानक मौजूद हैं, और इसलिए अपीलकर्ता को ऐसा करना चाहिए कि 'मानक श्रेणी' में आवेदन किया होना चाहिए न कि 'अमानक श्रेणी' में ।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अग्रिम अनुज्ञप्ति 'मानक श्रेणी' या 'अमानक श्रेणी' के तहत जारी किए गए थे, किसी भी मामले में उक्त अनुज्ञप्ति एक्जिम नीति 1997-2002 के तहत अन्तरणीय थे, जो विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1992. की धारा 5 के तहत जारी किया गया था ।

उपरोक्त एक्जिम निती के अंतर्गत छुट शुल्क योजना के खंड 7.19(a) के तहत 1.4.1997 से 31.03.2002 के अविधि के लिये यह प्रावधान है कि “विशेष अग्रदाय अनुज्ञप्ति और/या इसके विरूद्ध आयतित सामग्री को छोड़कर, एक शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा निर्यात दायित्व को पुरा करने और पुष्टि के पश्चात अंतरणीय है”।

इस प्रकार, उपरोक्त योजना को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति अन्तरणीय हैं, चाहे वे 'मानक श्रेणी' में हों या 'अमानक श्रेणी' में हों। शुल्क छूट योजना के खंड 7.4 के अनुसार 'मानक श्रेणी' और 'अमानक श्रेणी' के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जहां एसाआईओएन मानक प्रकाशित किए गए हैं, वहां आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को दिया जाना है, और जहां वे नहीं हैं प्रकाशित आवेदन को उस समिति को दिया जाना है जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के लिए सिफारिश प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है।

शुल्क छूट योजना का खंड 7.27 इस प्रकार है:

(i) - निर्यात दायित्व पूरा होने और उपक्रम को भुनाने के बाद और ऊपर परिच्छेद 7.25 में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति धारक (परिच्छेद 7.4 के तहत उपयोग किए गए विशेष अग्रदाय अनुज्ञप्ति और अग्रिम अनुज्ञप्ति को छोड़कर) होगा अनुज्ञप्ति के अन्तरण की अनुमति है, बशर्ते कि अन्तरणीयता के पुष्टि का अनुरोध अनुज्ञप्ति जारी होने के 36 महीने के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा किया गया हो। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तरणीयता के ऐसे पुष्टि पर, संबंधित अनुज्ञप्ति धारक स्थानांतरण कर सकता है ।

(क) पूर्ण अनुज्ञप्ति, यदि कोई आयात नहीं किया गया है;

(ख) आंशिक रूप से अनुज्ञप्ति, पहले से किए गए आयात की मात्रा और मूल्य को छोड़कर; और

(ग) सामग्री या उसका शेष पहले ही आयात किया जा चुका है।

(ii) अन्तरणीयता के पुष्टि पर, डुप्लिकेट अनुज्ञप्ति जारी करना, सीआईएफ मूल्य में वृद्धि या पुनर्वैधीकरण सहित संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) अन्तरणीयता के पुष्टि पर, शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति इसकी वैधता की शेष अवधि के लिए या पुष्टि की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो, वैधहोगा। हालाँकि, जारी होने के 30 महीने के बाद अन्तरणीयता के पुष्टि के लिए प्रस्तुत अनुज्ञप्ति की वैधता जारी होने की तारीख से अधिकतम 36 महीने तक होगी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सभी शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति अन्तरणीय हैं, चाहे वे 'मानक श्रेणी' या 'अमानक श्रेणी' से संबंधित हों।

आदेश दिनांक 19.2.1999 द्वारा डीजीएफटी ने अन्तरणीयता के पुष्टि के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्यात वस्तुओं का विवरण गलत तरीके से अमानक श्रेणी' में दिखाया गया था, जबकि इसे 'मानक श्रेणी' में दिखाया जाना चाहिए था क्योंकि यह जमे हुए समुद्री उत्पाद/जमे हुए मांस को आइवरी बोर्ड के अलावा एलडीपीई/एचडीपीई/पीपी कार्ड बोर्ड से बने पैकिंग सामग्री में पैक किया गया था।

डीजीएफटी का विचार था कि अपीलकर्ता को अनुज्ञप्ति दिनांक 31.3.1997 के परिपत्र के विपरीत दिया गया था, जिसके तहत अनज्ञप्ति प्राधिकरण को मछली और समुद्री उत्पादों के संबंध में मानक इनपुट आउटपुट मानको (एसआईओएन) के अनुसार सख्ती से अग्रिम अनुज्ञप्ति जारी करने की सलाह दी गई थी।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय के साथ-साथ डीजीएफटी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विधि के दृष्टि में गलत था और खारिज किए जाने योग्य था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता को वे अग्रिम अनुज्ञप्ति दिए गए जिनके लिए आवेदन किया गया था। यदि कोई शिकायत थी कि अनुज्ञप्ति वैध रूप से प्रदान नहीं किए गए थे, तो अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था कि क्यों न उक्त अनुज्ञप्ति रद्द कर दिए जाएं, और उसके बाद रद्दीकरण आदेश पारित किया जा सकता था। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही अनुज्ञप्ति वास्तव में रद्द किया गया था।

यदि किसी को अनुज्ञप्ति दिया जाता है तो अनुज्ञप्ति धारक को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और बिना सुनवाई के ऐसे अधिकार से वंचित करना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। ऐसे वापस लेने से पहले सुनवाई का सही अवसर देना होगा, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। उत्तरदाताओं का रुख यह है कि यदि अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है तो अनुज्ञप्ति प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है। इससे हम सहमत नहीं हैं, अनुज्ञप्ति का अनुदान निश्चित रूप से अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में कुछ अधिकार प्रदान करता है, और यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की राय थी कि अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था, तो अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था, साथ ही सुनने का एक अवसर भी दिया जाना चाहिए था।

जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, शुल्क छूट योजना के तहत, चाहे अनुज्ञप्ति 'मानक श्रेणी' में हो या 'अमानक श्रेणी' में हो, किसी भी स्थिति में यह अन्तरणीय है। इसलिए, हमारी राय में, डीजीटीएफ ने प्रश्न में अनुज्ञप्ति की अन्तरणीयता के पुष्टि के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को गलत तरीके से अस्वीकृत कर दिया।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधीवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, अब नई एक्जिम नीति 2002-2007 लागू हो गई है। हालाँकि, इसके अवलोकन से पता चलता है कि जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है, मोटे तौर पर 1997-2002 की योजना और 2002-2007 की योजना के बीच कोई अंतर नहीं है।

भारत संघ और अन्य बनाम चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य , [2003] 2 एससीसी 641, इस न्यायालय ने माना कि नई नीति के तहत भी, अपीलकर्ता जिसके पास पुरानी नीति के तहत अर्जित अधिकार था, वह नई नीति के तहत लाभ का हकदार था।

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुराने कानून के तहत प्राप्त अधिकार तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक कि नए कानून के तहत कोई स्पष्ट या निहित असंगत प्रावधान न हो। न्यायमूर्ति जीपी सिंह द्वारा 'वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत', 9 वें संस्करण (2004) पृष्ठ 586 में। जहां तक प्रश्नगत मामले का संबंध है, हमें 1997-2002 की एक्ज़िम नीति और 2002-2007 की एक्ज़िम नीति के बीच कोई वास्तविक असंगतता नहीं मिली।

उपरोक्त कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के दिनांक 24.3.2000 के पारित निर्णय के साथ-साथ डीजीटीएफ के दिनांक 19.2.1999 के आदेश को रद्द कर दिया गया है। डीजीटीएफ को अपीलकर्ता की प्रार्थना के अनुसार प्रश्नगत अनुज्ञप्ति की अन्तरणीयता का पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है।

लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

VIVEK KUMAR